

न्यायालय:-व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 चन्देरी जिला-अशोकनगर

(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर-235103001772015

व्यवहार वाद कं.-24ए/17

संस्थापित दिनांक-14.08.15

1.रामराजा पुत्र वीरसिंह यादव आयु 47 वर्ष निवासी ग्राम उमरिया तहसील चंदेरी कृषक ग्राम बेंहटी जिला अशोकनगर (म0प्र0)	वादी
विरुद्ध	
1.जिला वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल जिला अशोकनगर (म0प्र0) 2.रेन्जर, वनरेन्ज चंदेरी जिला अशोकनगर (म0प्र0) 3.डिप्टी रेन्जर, रेन्ज चौकी इमलिया रेन्ज चंदेरी जिला अशोकनगर (म0प्र0) 4.मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला अशोकनगर (म0प्र0) 5.पटवारी, पटवारी ग्राम बेंहटी तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर (म0प्र0)	प्रतिवादीगण
वादी द्वारा श्री सतीश श्रीवास्तव अधिवक्ता। प्रतिवादीगण द्वारा श्री चौवे अधिवक्ता।	

- / / निर्णय / -

(आज दिनांक 25.01.2018 को घोषित)

01. प्रतिवादीगण ने वादी के विरुद्ध ग्राम बेहटी तहसील चंदेरी स्थित भूमि सर्वे क्र. 7/16 रकवा 1 हेक्टेयर (जिसे आगे विवादित भूमि से संबोधित किया जाएगा) पर स्वत्व घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रतिदावा प्रस्तुत किया है।

02. प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य नहीं है।

03. प्रकरण में उल्लेखनीय है कि वादी ने अपना वाद प्रस्तुत किया था जिसमें जबाब के दौरान प्रतिवादी ने प्रतिदावा भी प्रस्तुत किया वादी ने अपना वाद विचारण के दौरान वापिस ले लिया तथा प्रकरण में प्रतिदावा शेष रह गया, जिसके संबंध में यह निर्णय पारित किया जा रहा है।

04. प्रतिवादी का प्रतिदावा संक्षेप में इस प्रकार है कि उक्त वाद भूमि आर एफ 148 में निश्चित है। प्रतिवादी के अनुसार उक्त विवादित भूमि वन भूमि है तथा वादी उस पर अतिक्रमण करना चाहता है। प्रतिवादी के अनुसार वादी उसे गलत रूप से अपनी भूमि समझता है जबकि उक्त विवादित भूमि वन विभाग की भूमि है। अतः उपरोक्त आधारों पर प्रतिवादी ने इस आशय की डिक्री चाही है कि उसे उक्त विवादित भूमि का स्वत्वाधिकारी घोषित किया जावे तथा उक्त विवादित भूमि के संबंध में वादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

05. उक्त प्रतिदावा के जवाब में वादी द्वारा प्रतिवादी के प्रतिदावे में किए गए अभिवचनों को पूर्णतः अस्वीकार किया गया है। वादी के अनुसार प्रतिवादी द्वारा गलत आधारों पर प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया है। वादी के अनुसार उक्त विवादित भूमि पर उसका स्वत्व एवं आधिपत्य है। वादी के अनुसार वह उक्त विवादित भूमि पर पिछले 50 वर्ष से अधिक समय से काबिज चला आ रहा है। वादी के अनुसार उक्त विवादित भूमि वन विभाग की भूमि नहीं है। अतः उपरोक्त आधारों पर वादी, ने प्रतिवादी के प्रतिदावा को अस्वीकार निरस्त करने का निवेदन

किया है।

06. वादी एवं प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित वाद प्रश्न की विरचना की हैं, जिनके आगे इस न्यायालय के सकारण निष्कर्ष निम्नवत है :-

क्रं.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
01.	क्या बीट सौतेर के अंतर्गत ग्राम बेंहटी कक्ष क्रमांक आर.एफ. 148 में स्थित भूमि, जिसे वन विभाग के अक्स एवं सर्वे ऑफ इंडिया के अक्स में लाल रंग से दर्शाया गया है, वन भूमि है ?	नहीं।
02.	क्या उपरोक्त वादग्रस्त भूमि वन भूमि है ?	नहीं।
03.	यदि हाँ, तो क्या वादी द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है ?	नहीं।
04.	क्या प्रतिवादीगण उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी है ?	नहीं।
05.	सहायता एवं व्यय ?	“निर्णयानुसार प्रतिवादीगण का प्रतिदावा अस्वीकार कर सव्यय निरस्त किया गया।”

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

07. वादी ने अपने समर्थन में वा.सा. 01 रामराजा, वा.सा.2 जयसिंह, वा.

सा.3 हरीश कलावत, की मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की है और साथ ही प्र0पी01 लगायत प्र0पी03 के दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किए हैं। प्रतिवादीगण की ओर से प्र.सा. 01 विपिन की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है। प्रतिवादीगण की ओर से प्र0डी01 लगायत प्र0डी03 के दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए हैं।

08. प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ वाद प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 04 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है एवं वाद प्रश्न क्रमांक 05 का निराकरण पृथक से किया जा रहा है।

—:: वादप्रश्न क्रं. 01 लगायत 04 ::—

09. प्र.सा. 01 विपिन ने अपने कथन में बताया है कि उक्त विवादित भूमि आर एफ क्र. 148 में स्थित है। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त विवादित भूमि की जीपीएस रीडिंग ली गई थी तथा पंचनामा तैयार किया गया था जिसके अनुसार उक्त विवादित भूमि वन विभाग की भूमि पाई गई थी। उक्त साक्षी के अनुसार वादी उक्त विवादित भूमि पर अतिक्रमण करना चाहता है। उक्त साक्षी के अनुसार उसने कक्ष क्रमांक का नक्सा बनाया था। उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया कि उसने वन भूमि का अतिक्रमण नहीं पाया था। उक्त साक्षी के अनुसार उसे जानकारी नहीं है कि उक्त विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम अंकित है।

10. वा.सा.1 रामराजा के अनुसार उसने उक्त विवादित भूमि पूर्व स्वामी लछियाबाई से क़य की थी जिस पर वह काबिज होकर कृषि कार्य करता चला आ रहा है। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त भूमि से प्रतिवादीगण का कोई संबंध नहीं है

किंतु प्रतिवादीगण उस पर कब्जा करना चाहते हैं। वा.सा.1 के अनुसार उसे जानकारी नहीं है कि लछियाबाई के पास उक्त विवादित भूमि कहां से आई। उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि लछिया बाई को उक्त विवादित भूमि पट्टे पर मिली थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि वन विभाग वालों ने विवादित भूमि की नप्ती की थी या नहीं। उक्त साक्षी के अनुसार वह उक्त विवादित भूमि पर खेती करता चला आ रहा है।

11. वा.सा.2 जयसिंह ने अपने कथन में बताया है कि उक्त विवादित भूमि वादी के स्वत्व की भूमि है। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त विवादित भूमि लछियाबाई को पट्टे पर मिली थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसे विवादित भूमि की सीमा की जानकारी नहीं है। वा.सा.3 जो कि हल्का का पटवारी है ने अपने कथन में बताया है कि खसरा प्र0पी02 एवं नक्सा प्र0पी03 के अनुसार उक्त विवादित भूमि रामराजा के नाम पर दर्ज है।

12. प्रतिवादीगण की ओर से जो मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उसमें प्रतिवादीगण ने खसरे नंबर का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण ने आर एफ क्रमांक के आधार पर उक्त विवादित भूमि को वन विभाग की भूमि बताया है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट हो रहा है कि उक्त विवादित भूमि लछियाबाई को शासन से पट्टे पर प्राप्त हुई थी इस प्रकार उक्त विवादित भूमि पट्टे पर दिया जाना प्रकट हो रही है। प्रतिवादीगण ने जो दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किये हैं उनमें पंचनामा प्र0डी01, टोपोसीट प्र0डी02 एवं नक्सा प्र0डी03 है। पंचनामा प्र0डी01 में जीपीएस रीडिंग लेने का उल्लेख है। यही स्थिति प्र0डी03 की भी है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से सर्वप्रथम यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि विवादित भूमि वास्तविक रूप से कहां स्थित है। प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज अभिलेख पर न तो प्रस्तुत किया है और न ही प्रमाणित कराया है जिससे कि यह स्पष्ट हो सके कि उक्त

विवादित भूमि वन विभाग की भूमि कब और किस प्रकार बनी। प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई मध्यप्रदेश शासन या वनविभाग का नोटिफिकेशन अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उक्त विवादित भूमि वन विभाग की भूमि घोषित हुई थी।

13. उल्लेखनीय है कि किसी भी प्रतिदावे को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादी पर होता है तथा वह वादी की कमियों का लाभ नहीं ले सकता। प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादीगण ने उक्त विवादित भूमि की सीमा भी स्पष्ट नहीं की है जिससे कि यह निश्चित हो सके कि उक्त विवादित भूमि कहां पर स्थित है तथा उसके आस-पास कोन-कोन सी भूमियां हैं या किस-किस की भूमियां हैं। उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी साक्षी प्र.सा.1 ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि उक्त विवादित भूमि पर वादी द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं हो रहा है कि उक्त विवादित भूमि वन विभाग की भूमि है। प्रतिवादी साक्ष्य से यह भी प्रमाणित नहीं हो रहा है कि वादी द्वारा उक्त विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है। अतः प्रतिवादी वादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। परिणामतः वाद प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 04 नकारात्मक निर्णीत किए जाते हैं।

—:: वादप्रश्न क्रं.-05 ::—

14. साक्ष्य एवं विधि के उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि प्रतिवादी अपना प्रतिदावा प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः प्रतिवादी का प्रतिदावा अस्वीकार कर सव्यय निरस्त किया जाता है।

15. प्रतिदावा का संपूर्ण व्यय प्रतिवादी द्वारा वहन किया जाएगा एवं अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या सूची अनुसार जो भी कम हो देय होगी।

उपरोक्तानुसार जयपत्र की रचना की जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(ज़फ़र इकबाल)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
चंदेरी, जिला अशोकनगर

(ज़फ़र इकबाल)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
चंदेरी, जिला अशोकनगर